

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग।
कार्यालय आदेश/रिमाण्ड आदेश संख्या 12/2026

जनपद न्यायालय, रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय, ऊखीमठ में **माह सितम्बर, 2026** से **माह नवम्बर, 2026** तक **राजकीय अवकाश के दिनों** में होने वाले रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य अति आवश्यक वी0आई0पी0 ड्यूटी आदि कार्यों के लिए धारा 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत **ड्यूटी मजिस्ट्रेट** के तौर पर निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

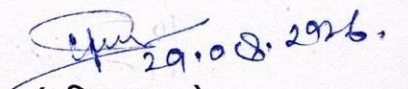
क्र.सं.	माह	जिला मुख्यालय	यदि सम्बन्धित अधिकारी अनुपस्थित हो	बाह्य न्यायालय	बाह्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में
1.	माह सितम्बर , 2026	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग	सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0एम0, ऊखीमठ	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी
2.	माह अक्टूबर 2026	सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0एम0, रुद्रप्रयाग	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग	सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0एम0, ऊखीमठ	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी
3.	माह, नवम्बर 2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग	सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0एम0, रुद्रप्रयाग।	सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0एम0, ऊखीमठ	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी

अतः उपरोक्त न्यायालयों के रिमाण्ड एवं जमानत तथा अत्यावश्यक वी0आई0पी0 ड्यूटी आदि कार्यों का सम्पादन संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त धारा 187(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत यदि उपरोक्त न्यायिक अधिकारी किसी कारण से जनपद में उपलब्ध न हो, तो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, के द्वारा विधिनुसार अति आवश्यक रिमाण्ड/जमानत तथा वी0आई0पी0 ड्यूटी (न्यायिक) का कार्य ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर सम्पादित किया जायेगा। **यह आदेश दिनांक 01.09.2026 से प्रभावी होगा।**

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

दिनांक 29.08.2026.


(अमित कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रुद्रप्रयाग।

0/c